

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 1458/2022

रवि जोशी पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जोशी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 7, शिव शक्ति सदन, सुभम कलेक्शन, अंगीरा नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : डॉ. सौगत रॉय
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री टी.एस. चौधरी

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

आदेश

19/09/2024

प्रकाशनीय

1. याचिकाकर्ता ने अपने निलंबन आदेश दिनांक 05.02.2021 के साथ-साथ प्रतिवादियों द्वारा पारित दिनांक 13.01.2022 के आदेश का भी विरोध किया है, जिसके द्वारा निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग करने वाले उसके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और उसका निलंबन तब से जारी है।

2. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर संख्या 195/2020 के पंजीकरण के कारण, उन्हें 21.01.2021 को गिरफ्तार किया गया था और 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में रहे और मामले के इस तथ्यात्मक पहलू के कारण, याचिकाकर्ता को 21.01.2021 से प्रभावी 05.02.2021 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो कोई विभागीय जांच शुरू की गई है और न ही एफआईआर संख्या 195/2020 के अनुसार पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर किया गया है, फिर भी, याचिकाकर्ता का निलंबन आदेश जारी था, इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने एसबी सिविल

रिट याचिका संख्या 10756/2021 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2021 के आदेश के तहत इसका निपटारा किया गया और प्रतिवादियों को अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य **2015 (7) एससीसी 291** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के निर्देश जारी किए गए। वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, हालांकि, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है, केवल इस आधार पर कि वह 21.01.2021 से 24.02.2021 तक हिरासत में रहा।

3. अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए, वकील ने फिर से दलील दी कि आज तक, न तो याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई आरोपपत्र दाखिल किया गया है और न ही पुलिस ने एफआईआर संख्या 195/2020 के तहत उसके खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल किया है। वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से लंबे समय से निलंबन का सामना कर रहा है और अजय कुमार चौधरी (सुप्रा) मामले में पारित फैसले के अनुसार, यह कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं है।

4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक निश्चित अवधि के लिए आपराधिक मामले में हिरासत में रहा, इसलिए, इन परिस्थितियों में, उसे निलंबित कर दिया गया था और यदि याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द कर दिया जाता है, तो इससे अन्य स्टाफ सदस्यों को गलत संदेश जाएगा और इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता इस न्यायालय से कोई राहत पाने का हकदार नहीं है।

5. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. रिकार्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को एफआईआर संख्या 195/2020 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और 21.01.2021 से 24.02.2021 तक हिरासत में रहा। इस आधार पर, उसे प्रतिवादियों द्वारा 21.01.2021 से दिनांक 05.02.2021 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ न

तो कोई घरेलू जांच शुरू की गई है, न ही उस पर कोई आरोप पत्र दिया गया है, और न ही पुलिस द्वारा आपराधिक मामले (एफआईआर संख्या 195/2020) में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर किया गया है। याचिकाकर्ता किसी आपराधिक मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है, इसलिए, इन परिस्थितियों में, पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से याचिकाकर्ता के लंबे निलंबन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी (सुप्रा) के मामले में लंबे समय तक निलंबन के इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया, जहाँ अपीलकर्ता ने राज्य द्वारा बार-बार विस्तार आदेशों के माध्यम से जारी अपने लंबे निलंबन को चुनौती दी और तर्क दिया कि उसके अनिश्चितकालीन निलंबन से उसके करियर पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसलिए, उसके निलंबन आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के तर्कों पर ध्यान देते हुए यह माना कि अनिश्चितकालीन निलंबन कानून के शासन के विपरीत है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कर्मचारी के अधिकार का उल्लंघन है। इसने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"11. निलंबन, विशेष रूप से आरोप-पत्र तैयार करने से पहले, अनिवार्य रूप से क्षणिक या अस्थायी प्रकृति का होता है, और अनिवार्यतः अल्पकालिक होता है। यदि यह अनिश्चित अवधि के लिए है या इसका नवीनीकरण अभिलेख में उपलब्ध समसामयिक ठोस तर्क पर आधारित नहीं है, तो यह दंडात्मक प्रकृति का होगा। विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ सदैव विलंब से शुरू होती हैं, आरोप-पत्र तैयार करने से पहले और बाद में टालमटोल से ग्रस्त होती हैं, और अंततः और भी अधिक विलंब के बाद समाप्त होती हैं।

12. निलंबन की लंबी अवधि और उसका बार-बार नवीनीकरण, दुर्भाग्य से एक आदर्श बन गया है, न कि अपवाद, जैसा कि होना चाहिए। निलंबित व्यक्ति, आक्षेपों की बदनामी, समाज की अवमानना और अपने विभाग के उपहास को झेलते हुए, किसी दुष्कर्म, अविवेक या अपराध का औपचारिक आरोप लगने से पहले ही इस यातना को सहना पड़ता है। उसकी पीड़ा यह है कि उसे पता है कि यदि और जब आरोप लगाया जाता है, तो न्यायिक जांच या पूछताछ के अपने चरम पर पहुंचने में, यानी उसकी निर्दोषता या अधर्म का निर्धारण करने में, अनिवार्य रूप से बहुत अधिक समय लगेगा। बहुत बार यह अब सेवानिवृत्ति का एक साथी बन गया है। निस्संदेह, कुतर्कवादी चतुराई से इसका प्रतिवाद करेंगे कि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से न तो कैदियों को शीघ्र सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है, न ही अभियुक्त को निर्दोषता की धारणा प्रदान करता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये दोनों ही कारक कानूनी आधारभूत मानदंड हैं, सामान्य विधि न्यायशास्त्र के अभिन्न सिद्धांत हैं, जो 1215 के मैग्रा कार्टा से भी पहले के

हैं, जो यह आश्वासन देता है कि - "हम किसी को कुछ नहीं बेचेंगे, हम किसी को भी न्याय या अधिकार से वंचित या स्थगित नहीं करेंगे।" इसी प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का छठा संशोधन यह गारंटी देता है कि सभी आपराधिक मुकदमों में अभियुक्त को शीघ्र और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा।

17. आपराधिक मुकदमे के प्रत्येक चरण में, और विशेषकर विभागीय जाँच में, शीघ्रता और तत्परता की विधिक अपेक्षा पर इस न्यायालय ने अनेक अवसरों पर बल दिया है। अब्दुल रहमान मामले में संविधान पीठ ने अंतुले बनाम आरएस नायक [(1992) 1 एससीसी 225: 1992 एससीसी (क्रि) 93] ने रेखांकित किया कि शीघ्र सुनवाई का यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309 में भी परिलक्षित होता है; कि यह जांच, पूछताछ, परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विचार जैसे सभी चरणों को शामिल करता है; कि देरी को उचित ठहराने और समझाने का भार अभियोजन पक्ष पर है; कि न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए संतुलन परीक्षण में संलग्न होना चाहिए कि क्या उसके समक्ष विशेष मामले में इस अधिकार से इनकार किया गया था। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए कैट ने इस मामले में निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता का निलंबन 19-3 2013 से 90 दिनों से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस निर्देश को उस शक्ति वाले प्राधिकारी यानी सरकार के न्यायिक निर्धारण के प्रतिस्थापन के रूप में देखते हुए खारिज कर दिया था।

21. अतः, हम निर्देश देते हैं कि यदि इस अवधि के भीतर दोषी अधिकारी/कर्मचारी को आरोपों/आरोप-पत्र का ज्ञापन तामील नहीं किया जाता है, तो निलंबन आदेश की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए ; यदि आरोपों/आरोप-पत्र का ज्ञापन तामील हो जाता है, तो निलंबन अवधि बढ़ाने के लिए एक तर्कसंगत आदेश पारित किया जाना चाहिए। जैसा कि वर्तमान मामले में है, सरकार संबंधित व्यक्ति को राज्य के भीतर या बाहर अपने किसी भी कार्यालय में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है ताकि उसके किसी भी स्थानीय या व्यक्तिगत संपर्क को समाप्त किया जा सके जिसका वह अपने विरुद्ध जाँच में बाधा डालने के लिए दुरुपयोग कर सकता है। सरकार उसे अपना बचाव तैयार करने तक किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने, या अभिलेखों और दस्तावेजों को संभालने से भी रोक सकती है। हमारा मानना है कि इससे मानवीय गरिमा के सर्वमान्य सिद्धांत और शीघ्र सुनवाई के अधिकार की पर्याप्त रूप से रक्षा होगी और अभियोजन में सरकार के हित भी सुरक्षित रहेंगे। हम मानते हैं कि पिछली संविधान पीठें विलंब के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने और उनकी अवधि के लिए समय-सीमा निर्धारित करने में अनिच्छुक रही हैं। हालाँकि, निलंबन की अवधि पर कोई सीमा लगाने पर पूर्व के मामलों में चर्चा नहीं की गई है, और यह न्याय के हितों के विरुद्ध नहीं होगा। इसके अलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का यह निर्देश कि आपराधिक जाँच लंबित रहने तक

विभागीय कार्यवाही स्थगित रखी जाए, हमारे द्वारा अपनाए गए रुख के मद्देनजर अमान्य हो जाता है।”

7. तमिलनाडु राज्य बनाम प्रमोद कुमार, आईपीएस एवं अन्य, **(2018) 17 एससीसी 677** में रिपोर्ट किए गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे ही तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसमें निलंबन आदेश 6 वर्षों से अधिक समय तक जारी रहा, यह माना है कि यद्यपि राज्य सरकार को निस्संदेह दोषी कर्मचारी का निलंबन जारी रखने का अधिकार है, फिर भी आपराधिक मुकदमा लंबित रहने तक, लंबे समय तक निलंबन से बचना चाहिए। न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी (सुप्रा) मामले में निर्धारित अनुपात को दोहराया और निम्नलिखित निर्णय दिया:

24. प्रथम प्रतिवादी को 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने के कारण अखिल भारतीय सेवा नियम के नियम 3(2) के अंतर्गत निलंबित माना गया है। निलंबन में उसकी निरंतरता के लिए समय-समय पर समीक्षा की गई। समीक्षा समितियों की सिफारिशों ने उसकी बहाली का पक्ष नहीं लिया, जिसके कारण वह अभी भी निलंबित है। प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदंबरम ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि आपराधिक मुकदमा लंबित है। आपराधिक मुकदमा लंबित रहने तक प्रथम प्रतिवादी को निलंबित रखने के लिए राज्य सरकार की शक्ति या अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। हालाँकि, मुद्दा यह है कि क्या लंबे समय तक प्रथम प्रतिवादी का निलंबन जारी रखना उचित है।

25. प्रथम प्रतिवादी छह साल से ज्यादा समय से निलंबित है। प्रथम प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करते हुए, जाँच एजेंसी को यह छूट दी गई थी कि अगर वह सबूतों से छेड़छाड़ करता है, तो वह अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। बेशक, सीबीआई ने इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। अब भी अपीलकर्ता के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने के किसी भी प्रयास का कोई विशिष्ट उदाहरण मौजूद हो।

26. दिनांक 27-6-2016 को हुई समीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया था कि प्रथम प्रतिवादी गवाहों पर दबाव डालने और उन्हें प्रभावित करने में सक्षम है और यदि उसे पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पुनः बहाल किया जाता है, तो उसके द्वारा पद का दुरुपयोग किए जाने की पूरी संभावना है। समीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर ही, गृह (एससी) विभाग के प्रमुख सचिव ने दिनांक 6-7-

2016 के आदेश द्वारा निलंबन अवधि को 9-7-2016 से आगे 180 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया।

27. इस न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ मामले में लंबे समय तक निलंबन की प्रथा पर नाराजगी जताई है और कहा है कि निलंबन अनिवार्य रूप से अल्प अवधि के लिए होना चाहिए। अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, हम आश्चर्य हैं कि प्रथम प्रतिवादी को और अधिक समय तक निलंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और उसकी बहाली निष्पक्ष सुनवाई के लिए कोई खतरा नहीं होगी। हम उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को दोहराते हैं कि अपीलकर्ता राज्य को प्रथम प्रतिवादी को किसी गैर-संवेदनशील पद पर नियुक्त करने की स्वतंत्रता है।

8. उपरोक्त निर्णयों का इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में लगातार पालन किया गया है, जिनमें ओम प्रकाश यादव बनाम राजस्थान राज्य (**2015 एससीसी ऑनलाइन राज 11419**), त्रिकमदान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। चारण बनाम राजस्थान राज्य (2023 एससीसी ऑनलाइन राज 4371) और डॉ. इंद्रराम रणवा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2023 एससीसी ऑनलाइन राज 4514)।

9. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि यह है कि निलंबन आदेश तीन माह की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, बशर्ते कि इस अवधि के भीतर दोषी कर्मचारी को आरोपों का ज्ञापन/आरोप पत्र तामील न किया गया हो। यदि तथ्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है या आरोपों का ज्ञापन तीन माह के भीतर जारी नहीं किया गया है, तो विभागीय कार्यवाही शुरू होने की स्थिति में, निलंबन अनिश्चित काल या कई वर्षों तक नहीं दिया जा सकता।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने **1994** में रिपोर्ट किए गए करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में (**3**) एससीसी **569** में माना है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह देरी से बचने के लिए सभी चरणों में जारी रहता है, अर्थात् जांच, पूछताछ, परीक्षण, अपील या पुनरीक्षण का चरण।

11. मामले के तथ्यात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए, तीन वर्षों का निलंबन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पिछले तीन वर्षों और आठ महीनों से अधिक समय से याचिकाकर्ता का निरंतर निलंबन, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में निलंबन आदेश 05.02.2021 को जारी किया गया था, जिसमें 48 घंटे से अधिक समय तक गिरफ्तारी और हिरासत के कारण 21.01.2021 से निलंबन माना गया था। इसे इस न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10756/2021 में चुनौती दी गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 22.09.2021 के आदेश द्वारा किया गया था और प्रतिवादियों को अजय कुमार चौधरी (सुप्रा) में प्रतिपादित कानून के मद्देनजर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.01.2022 के आदेश द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया, अर्थात् निलंबन माने जाने के लगभग एक वर्ष बाद। आदेश में कहीं भी विभाग द्वारा शुरू की गई किसी भी विभागीय जांच में आरोपों के किसी भी ज्ञापन को जारी करने का उल्लेख नहीं है, जिन अपराधों के संबंध में निलंबन माना गया था, उनसे संबंधित आपराधिक न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करना तो दूर की बात है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को निलंबित हुए तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है, तथा आपराधिक कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हुई है।

13. उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर, जो विवाद में नहीं हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के मद्देनजर, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता का वर्तमान अनिश्चितकालीन निलंबन, जो 3 वर्ष और 8 महीने से अधिक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और कानून के शासन के विपरीत है।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 05.02.2021 और 13.01.2022 के आदेश निरस्त एवं अपास्त किए जाते हैं तथा वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे बिना किसी और विलंब के याचिकाकर्ता को तत्काल बहाल करें।

15. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवादियों द्वारा आज से एक माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

16. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय कानून के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते हुए याचिकाकर्ता पर आरोप-पत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा हो जाता है।

18. पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

(अनूप कुमार ढांड),जे

कुडी /180

अस्वीकरणः इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी